

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02  
अभियुक्तगण गिरफ्तार**

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- सुरेश शर्मा पुत्र दीनानाथ शर्मा निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर 2- कैलाश सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी सोनौरा बुजुर्ग थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर उनके पास से क्रमशः 05 ली0 -10 ली0 (कुल 15 ली0 )अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 217/20 व 218/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**02 अदद अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता मुमताज पुत्र हबीबुल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 297/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा एक अदद अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता सर्वेन्द्र सिंह उर्फ गोपी पुत्र राजेश्वर सिंह निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 216/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 2545 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 2545 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 1682 से कालर ने सड़क दुर्घटना में 02 व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 02 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –मु0आ0 चन्द्रभान मिश्र, हो0गा0 विजय लक्ष्मी, म0आ0 नीलम यादव, हो0चा0 राकेश पाण्डेय ।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनो से 91200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**

आज दिनांक 21-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनो से 91200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया